डायरी संख्या 4754 / क०कै०सिं०लि०
दिनाँक 22/12/16 लखनऊ

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(अधिष्ठान-6-अनुभाग)
सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग
उ0प्र0,लखनऊ

पत्राँकः- 319 /ई-6/प्रारूपकार/नियुक्ति/2016 लखनऊःदिनांकः21ःदिसम्बरः2016

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर, लखनऊ के पत्राँक-826/गोपन अनुभाग/2016, दिनांक 22.11.2016 द्वारा प्रारूपकार (नक्शानवीस) के पद पर चयनित अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रारूपकार (नक्शानवीस) वेतन बैण्ड 5200-20200(ग्रेड वेतन-2800) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा पदस्थापित किया जाता हैः-

क0 सं0	अधी0 सेवा चयन आयोग का कमांक	रजिस्ट्रेशन नं0	अभ्यर्थी का नाम/ जन्मतिथि/गृहजनपद	पिता/पति का नाम	वर्ग	नियुक्ति के उपरान्त पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	140	50700107051	कु0पूजा रानी 04.01.92/सहारनपुर	श्री राजेश कुमार	अनु0 जाति	यमुना लिंक चैनल निर्माण खण्ड, सहारनपुर।

1- अभ्यर्थी को नियुक्ति/पदस्थापना आदेश निर्गत् होने के तिथि से 01 माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते है तो संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति/पदस्थापना स्वतः निरस्त मानें जायेंगे।

2- उपरोक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत् शासनादेशानुसार स्वीकृत दरों पर मंहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

3- इनकी सेवायें पूर्णतया अस्थाई होंगी तथा किसी भी समय एक माह की नोटिस पर समाप्त की जा सकेंगी।

4- नवनियुक्त प्रारूपकार(नक्शानवीस) दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर रहेंगे। उक्त अवधि में उनका कार्य कलाप असन्तोषजनक होने पर उनकी नियुक्ति समाप्त करने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

5- नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

6- कार्यभार ग्रहण कराते समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों/घोषणा पत्रों को मूल रूप में जमा कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराये तथा मूल प्रमाण-पत्रों को जारी करने वाले प्राधिकारी से सत्यापन प्राप्त करते हुए इस कार्यालय को अवगत करायें।

(क) हाईस्कूल एवं अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करने की अभिप्रमाणित प्रतियां।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/विकलांग होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

(ग) किन्हीं दो राजपत्रित अधिकारियों जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की सक्रिय सेवा में हो तथा अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार से संबंधित न हो द्वारा प्रदत्त आचरण प्रमाण-पत्र अथवा विधान सभा/विधान परिषद/लोक सभा/राज्य सभा के सदस्यों से प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

(घ) अन्तिम शिक्षण संस्थान के प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।

(ङ) विवाह हो तो जीवित एक पति/पत्नी के संबंध में स्वयं का घोषणा-पत्र।

(च) संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र

(छ) यदि कोई अभ्यर्थी किसी अन्य विभाग में सेवारत है, तो उस विभाग से कार्यमुक्त का प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य होगा।

(ज) अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार पृथक से निर्धारित की जायेगी।

--2--

श्री अजय, प्र-सहा.
21.12.16

7- पदस्थापित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करते समय नियंत्रक अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी से 02 पासपोर्ट साइज की प्रमाणित फोटोग्राफ प्राप्त किये जायेंगे जिनमे से एक अभ्यर्थी की सेवापुस्तिका में चस्पा किया जायेगा तथा 01 प्रति कार्यालय के सत्यापन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा तथा उ0प्र0अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निर्गत् रजिस्ट्रेशन के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

8- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है। प्रमाण-पत्रों के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर और यदि सत्यापन किये जाने पर दावा झूठा पाया जाता है, तो इनकी सेवायें बिना किसी कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और झूठे प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में भारतीय दण्ड संहित के उपबन्धों के अन्तर्गत् आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

सी0डी0राम
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

पत्राँक- 319 /ई-6/तदिनांक 21.12.16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01- सचिव, सिंचाई एवं जलसंसाधन अनुभाग-7, उ0प्र0शासन, लखनऊ को उनके उपरोक्त उल्लिखित पत्र दिनांक 05.01.2015 के संदर्भ में।
02- सचिव, उ0प्र0अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 22.11.16 के संदर्भ में।
03- संबंधित मुख्य अभियन्ता,
04- अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
05- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
06- संबंधित अधीक्षण अभियन्ता,
07- संबंधित अधिशासी अभियन्ता,
08- संबंधित अभ्यर्थी
09- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी
10- वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता(सिंचाई)/(परि0एवंनियो0),सिं0एवंजलसंसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
11- वैयक्तिक सहायक,मुख्य अभियन्ता(कार्मिक-4/6),सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12- महासचिव, सिंचाई विभाग ड्राइंग स्टाफ एसोसिएशन उ0प्र0, लखनऊ।
13- कट फाईल।

21/12/16

(जी0पी0श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता(कार्मिक-4/6)